न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A

...ान अधिकारी— अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

...सल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
76 / अपील / 19	15.10.2019	18.03.2021

1. रतनीबाई पत्नी स्व0 केसरा जाति माली निवासी सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. आशा पुत्री स्व0 केसरा जाति माली निवासी सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. गोपीलाल
4. कन्हैयालाल
5. रमेश
6. भंवरलाल
7. दिनेश

(3 से 7) पुत्र स्व0 केसरा जाति माली निवासी सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामधन
2. रामकरण

(1 व 2) पुत्र हरनाथ जाति माली निवासी सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

3. फूलांबाई पुत्री हरनाथ जाति माली निवासी सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. दुर्गाबाई पुत्री हरनाथ जाति माली निवासी सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. लालीबाई पत्नी स्व0 हरनाथ जाति माली निवासी सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ड

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से श्री शम्भू दयाल शर्मा एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 30.12.1978 वाके ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर

ारा 75 भू–राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन करण से कृषि भूमि खसरा सख्या 120/741 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा व खसरा 727 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सिंघाडी मृतक खातेदार लक्ष्मण की मृत्यु बाद लक्ष्मण के स्थान पर हरनाथ के नाम दर्ज की गई है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली में खसरा सख्या 120/741 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 727 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि मृतक खातेदार लक्ष्मण के नाम दर्ज है। लक्ष्मण जी की मृत्यु के बाद विवादित नामान्तरकरण लक्ष्मण पि0 ईश्वर के स्थान पर हरनाथ के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि मृतक खातेदार लक्ष्मण के दो पुत्र हरनाथ व केसरा थे। गलत रूप से यह तथ्य अंकित किये गये कि केसरा अन्य के गोद चला गया है। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा मजमे आम में मृतक लक्ष्मण के वारिसान की जांच के बिना विवादित नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है जो विधि विरूद्व है। केसरा के गोद जाने बाबत कोई जांच नहीं की गई है। अपीलांट के पिता व पति केसरा कहीं किसी के यहां गोद नहीं गये थे। ताजिन्दगी अपने पिता लक्ष्मण के मकान मे निवास करते चले आ रहे है। अपीलांट के पिता एवं पति केसरा तथा रेस्पो0 के पिता हरनाथ की संयुक्त खातेदारी में ग्राम सिंघाडी में विरिथत है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी में केसरा व हरनाथ के वारिसान के नाम दर्ज हैं। विवादित अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट के पिता व पति केसरा व हरनाथ का आधा–आधा हिस्सा है और दोनों अपने जीवनकाल में काबिज रहे है। अपीलांट के पिता व पति केसरा व रेस्पो0 के पिता हरनाथ का देहान्त हो चुका है। दोनों के वारिसान आधी–आधी भूमि पर काबिज है। कब्जे के संबंध में मौके पर कोई विवाद नहीं है। विवादित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को केसरा जी की मृत्यु के उपरांत पटवारी हल्का से नकले लेने दिनांक 25.09.2019 को गया तब पटवारी हल्का ने बताया कि भूमि हरनाथ के नाम दर्ज है तुम्हारे पिता का नाम भूमि में दर्ज नहीं है। नामान्तरकरण की नकल दिनांक 27.09.2019 को प्राप्त होने पर ज्ञान की तिथी से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर भूमि खसरा सख्या 120/741 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 727 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली के खातेदार पिता लक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मण के पुत्र केसरा व हरनाथ का नाम एवं केसरा व हरनाथ की मृत्यु हो जाने के कारण केसरा व हरनाथ के वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार हिण्डोली द्वारा संपूर्ण तथ्यों को रिकार्ड पर लिये बिना ही विवादित नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है। अतः प्रकरण को पुनः प्रेषित किया जाकर सभी वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जाना विधि अनुकूल होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित

उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 30.12.1978 का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 5 में लक्ष्मण पिता ईश्वर कौम माली खातेदार के रूप में दर्ज है। कॉलम संख्या 16 में पटवारी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया हैं कि लक्ष्मण फौत हो गया है, उसके दो लड़के हरनाथ व केसरा मौजूद है इसमें से केसरा गोद चला गया है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070–77 में कुल रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली केसरा के वारिसान का हिस्सा 1/5 व हरनाथ पिता लक्ष्मण का हिस्सा 1/5 दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोद जाने के तथ्य पर संपूर्ण जांच नहीं की गई है। यदि मृतक केसरा अन्य के गोद चला गया तो ग्राम सिंघाडी में विस्थित अन्य भूमि पर केसरा के वारिसान व हरनाथ का नाम किस प्रकार अंकित है जिससे यह प्रतीत होता है कि विवादित नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व सभी विधिक वारिसानों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 30.12.1978 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार लक्ष्मण के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी